सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 54/2016 अपील (RCMS/2016/00038)
पंजीयन दिनांक — 13.06.2016
निर्णय दिनांक — 04.06.2018

1. मु. हमेरी बाई बेवा दूदाजी मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री विष्णु पिता दूदाजी नाबालिग माता मु. हेमरी बाई, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री देवीलाल पिता पिता दूदाजी नाबालिग माता मु. हेमरी बाई, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती गंगाबाई पुत्री उदाजी भील, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती वजीबाई पुत्री उदाजी भील, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती नवलीबाई पुत्री उदाजी भील, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती तेजीबाई पुत्री उदाजी भील, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. श्रीमती रोडीबाई पुत्री उदाजी भील, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. श्री दोला पिता अम्बाजी मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
7. मु. पनुडी बेवा अम्बाजी मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
8. सुश्री लीला पुत्री लोगरजी मीणा, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सुरजबाई, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
9. सुश्री कमला पुत्री लोगरजी मीणा, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सुरजबाई, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

10. श्रीमती सुरजबाई पत्नी लोगरजी मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
11. श्री भीमराज पिता कन्ना जी मीणा, निवासी ऊंकार तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
12. श्री मानाराम पिता कन्ना जी मीणा, निवासी ऊंकार तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री लोकेश गहलोत – वकील अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 5, 11, 12
3. श्री मनीष पोखरना – वकील रेस्पोडेंट संख्या–6

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 01/2014 दिनांक 20.01.2014

निर्णय

दिनांक 04.06.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 01/2014 दिनांक 20.01.2014 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानपुर मौजा उमरडा पटवारी हल्का कानपुर तहसील गिर्वा में खाता संख्या 884 किता 1 रकबा 1.2100 हेक्टर खाता संख्या 865 किता 19 रकबा 1.2000 हेक्टर उक्त दोनो ही खातों में ही रेस्पो. की माता दोलीबाई बेवा उदा मीणा के नाम सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज हैं तथा खाता संख्या 866 किता 21 रकबा 2.1350 हे. में दोली बाई बेवा उदा मीणा का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या 867 किता 21 रकबा 1.9100 हे. में दोली बाई बेवा उदा मीणा का 1/4 हिस्से में हक निहित है। उदा की मृत्यु के पश्चात उसकी बेवा के नाम दर्ज हुआ परन्तु अन्य वारिसान का नाम अंकित नही किया गया। जबकि उदा की बेवा के साथ ही उनकी छः पुत्रीयॉ केशी, गंगा, वजी, नवली, तेजी, रोडी भी थी। केशी फोत हो चुकी है तथा शेष पाचों पुत्रियां जीवित है। जीवित पुत्रियों की माता उदा की बेवा दोलीबाई की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्रियों के नाम विरासत से नामान्तकरण दर्ज नही किये जाने से व्यथित होकर रेस्पो. ने एक अपील उप जिला कलक्टर, गिर्वा में दर्ज किये जाने के

फलस्वरुप अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–12–2013 से ग्राम पंचायत, कानपुर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 05–07–1989 तथा उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरणों को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए प्रश्नगत भूमि में दोली के सही वारिसान की जांच कर नवीन आदेश पारित करने के निर्णय दिया गया।

उप जिला कलक्टर, गिर्वा के आदेश दिनांक 16.12.2013 की अनुपालना में तहसीलदार, गिर्वा द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2014 पारित कर पटवारी हल्का को निर्देशित किया कि मु. दोली बेवा उदा मीणा के उपरोक्त प्रश्नगत भूमि विरासत से गंगाबाई, वजीबाई, नवली बाई, तेजीबाई, रोडीबाई पिता उदा मीणा सा.देह 5/6 हि.ब., श्री भीमराज, मानाराम, मगनीबाई माता केशीबाई मीणा 1/6 हि.ब. सा. पिण्डोलिया, आम्बाफला, तहसील वल्लभनगर के नाम जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकार्ड दर्ज करें। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

उल्लेखनीय है कि उप जिला कलक्टर, गिर्वा के आदेश दिनांक 16.12.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त में अपील प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 06.09.2016 से निरस्त किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 5, 6, 11 व 12 उपस्थित, जिसकी बहस दिनांक 22.05.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि उपजिला कलक्टर, गिर्वा के निर्णय होने के पश्चात अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार के पास उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2013 को प्रस्तुत किया था और तहसीलदार से निवेदन किया गया कि उक्त प्रतिप्रेषित प्रकरण में यदि आप द्वारा सुनवाई की जाती है तो हमें भी सुनवाई का अवसर प्रदान करावें। तहसीलदार द्वारा प्रकरण की सूनवाई आरंभ करने पर हमको भी सूचना प्रेषित किये जाने हेतु कहा गयां। तहसीलदार सा. द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त निर्णय की अपील मियाद अभी समाप्त नहीं हुई है इसलिये प्रकरण में अभी कार्यवाही नहीं की जा सकती है जिससे अपीलान्ट आश्वस्त हो गए, लेकिन तहसीलदार द्वारा गुप्तरूप से अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेंट को सूचना दिये बिना ही आनन फानन में प्रकरण का निस्तारण रेस्पाडेंट संख्या 1 से 5 के पक्ष में कर दिया तथा अपीलान्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करते

हुए निर्णय दिनांक 20.01.2014 पारित कर विधिक भुल की गई हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् ने बहस में बताया कि मु.दोली के वारिसान की जांच करने हेतु मामला तहसीलदार गिर्वा को रिमाण्ड किया गया तथा उप जिला कलक्टर द्वार अपील स्वीकार कर दोली के वारिसान की जांच करने हेतु अपील 16.12. 2013 को स्वीकार की गयी जिसके विरूद्ध मोजुदा अपीलान्ट में अपील आप न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिसे आप न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। इस मामलें में जो दोली बाई के वारिसान की जांच के लिये मामला तहसीलदार गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया गया जिसमें तहसीलदारा गिर्वा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट मंगवाई गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दोलीबाई के वारिसान नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश दिया गया जो सही है जिसके विरूद्ध कोई अपील लाई नहीं होती है तथा अपीलान्ट द्वारा यह अपील केवलमात्र रेस्पोडेंट को जलील व परेशान करने की नियत से पेश की गयी है। इस मामलें में दोलीबाई के पति के स्वर्गवास होने पर विवादित जमीन दोली बाई की सभी 6 लड़कियां वारिस होती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा दिये आदेश अनुसार म्यूटेशन दोलीबाई की 6 लडंकियों के नाम भरा जाकर स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, गिर्वा का आदेश बिल्कुल नियमानुसार भरा जाकर स्वीकृत किया गया उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है इस कारण मामलें में अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर तहसीलदार गिर्वा द्वारा कथित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किय है:

RRT 2015(1) Page 10, RRD 1986 Page 738, RRD 1986 Page 548

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। जैसाकि प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि जीवित पुत्रियों की माता उदा की बेवा दोलीबाई की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्रियों के नाम विरासत से नामान्तकरण दर्ज नही किये जाने से व्यथित होकर रेस्पो. ने एक अपील उप जिला कलक्टर, गिर्वा में दर्ज किये जाने के फलस्वरुप अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–12–2013 से ग्राम पंचायत, कानपुर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 05–07–1989 तथा उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरणों को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित

(Remand) करते हुए प्रश्नगत भूमि में दोली के सही वारिसान की जांच कर नवीन आदेश पारित करने के निर्णय दिया गया। उप जिला कलक्टर, गिर्वा के आदेश दिनांक 16.12.2013 का अनुपालना में तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पटवारी हल्का उमरडा से मु. दोली बेवा उदा मीणा के सही एवं विधिक वारिसान के जांच कर जांच प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। पटवारी हल्का उमरडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार मु. दोली बेवा उदा मीणा के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं था। उसके 6 जाईन्दा पुत्रियां केशीबाई, गंगाबाई, वजीबाई, नवलीबाई, तेजीबाई, रोडीबाई है, जिसमें से केशीबाई का देहांत हो गया है। जिसके जाईन्दा वारीसान में श्री भीमराज, मानाराम, मगनीबाई पिता कन्ना मीणा माता केशीबाई निवासी पिण्डोलीया, अम्बाफला तहसील वल्लभनगर (उदयपुर) है। मु. दोली बेवा उदा मीणा के उपरोक्त वर्णित वारीसान में उसकी जाईन्दा 6 पुत्रियों का ही विधिक एवं सही वारीस होना सिद्ध होने से तहसीलदार, गिर्वा द्वारा मु. दोली बेवा उदा मीणा के उपरोक्त प्रश्नगत भूमि विरासत से गंगाबाई, वजीबाई, नवली बाई, तेजीबाई, रोडीबाई पिता उदा मीणा सा.देह 5/6 हि.ब., श्री भीमराज, मानाराम, मगनीबाई माता केशीबाई मीणा 1/6 हि.ब. सा. पिण्डोलिया, आम्बाफला, तहसील वल्लभनगर के नाम जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित करते हुए आदेश दिनांक 20.01.2014 पारित किया जिसमें कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर